न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 80 / 2022

1 सोहनलाल पुत्र भगवानाराम जाति कुमावत निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 29.03.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी सोहनलाल बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 404 / 2021

उपस्थिति :

1. श्री राजवीर सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सिगड़, अधिवक्ता राजकीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 12-4-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 404/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 218, 353, 717 वाके राजस्व ग्राम जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट द्वारा धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय की अपीलांट के वकील ने जानकारी नहीं दी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। न्यायहित में धारा 5 आवेदन स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 717 पर अपीलांट का कब्जा उत्तरी तरफ है जबकि विभाजन में अपीलांट को दक्षिण दिशा में भूमि दी गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की थी। विचारण न्यायालय ने आपत्ति कोई गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि राजकीय हित प्रभावित नहीं हो तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

गुणावगुण के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि पत्रावली में सलग्न विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार ने स्पष्ट अंकित किया है कि खसरा नम्बर 717, 218, 373 में पूर्व के खातेदारों द्वारा अवैध बजरी खनन करने पर धारा 177 के तहत सिवायचक घोषित किया गया था। खनन से शेष पाकसाफ भूमि वादीगण के हिस्से में रखी गई है। इस विभाजन प्रस्ताव पर वादी अपीलांट ने हस्ताक्षर करने से मना किया है। विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय ने वादी अपीलांट ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे खसरा नम्बर 717 के उत्तरी भाग पर अपीलांट का कब्जाकाश्त होना प्रकट होता हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12-9-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर